लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, कालसी के माह 07/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री नन्दन सिंह भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13/10/2016 से 24/10/2016 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण दिनांक 13/10/2016 से 24/10/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संपादित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या सिंचाई निर्माण खण्ड, कालसी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावना:-

इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह,पर्यवेक्षक, श्री सौरभ कुमार सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा श्री वी. एस. पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में के पर्यवेक्षण में दिनांक 13/07/2015 से 25/07/2015 में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह 04/2013 से 06/2015 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 09/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं ने खण्ड का कार्यभार संभाले रखा।
   1- श्री सुनील कुमार - 03.07.2015 से वर्तमान तक
3. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे:-
   1- श्री राकेश कुमार रस्तोगी - 28.07.2014 से वर्तमान तक
4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा के पश्चात दिनांक 04-03-2016 को खण्ड का निरीक्षण किया गया।
5- खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमश: माह 09/2013 एवं माह 09/2015 तक की गई।
6- फार्म 51: माह 07/2016 तक कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-
   भाग प्रथम ` 8983671.00
   भाग द्वितीय ` 868432.25

7- खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2016 के अन्त में
   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 4974936.76
   (ख) सामग्री क्रय परिशोधन शून्य
   (ग) नकद परिशोधन शून्य
   (घ) निक्षेप ` 23883635.73
   (ड) भण्डार ` 15642694.00

8- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत थी:-

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	131/91-92	---	2
2.	221/92-93	---	2
3.	58/96-97	---	1
4.	171/97-98	---	1

5.	116/98-99	---	2
6.	50/2000-01	1	---
7.	49/2001-02	---	3
8.	33/2002-03	---	1
9.	76/2006-07	1	3
10.	56/2008-09	---	1
11.	25/2009-10	2	---
12.	90/2010-11	---	3
13.	93/2011-12	1	1,2,3,4
14.	50/2013-14	---	1,2
15.	44/2015-16	---	1,2,3,4

9. अप्रस्तुत अभिलेख:- माप पुस्तिका संख्या 754

10. सतत अनियमिततायेँ:- शून्य

11. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

क्रम संख्या	वर्ष	मुख्य लेखाशीर्ष	कुल आवंटन (` लाख में)	कुल व्यय (` लाख में)
1.	2012-13	4700	1187.31	1187.31
		4711	648.27	648.27
		2701	101.67	101.67
		2702	93.01	93.01
		2711	34.53	34.53
		8443	337.585	265.752
2.	2013-14	4700	580.39	580.39
		4711	919.76	919.76
		2701	67.40	67.40
		2702	41.90	41.90
		2711	29.20	29.20
		8443	553.312	545.912
3.	2014-15	4700	610.23	610.23
		4711	661.42	661.42
		2701	100.20	100.20
		2702	105.40	105.40
		2711	27.20	27.20
		8443	733.548	616.177
4.	2015-16	4700	1186.63	1178.68
		4711	1711.90	1707.06
		2701	167.24	167.09
		2702	91.75	90.84
		2711	23.96	23.90
		8443	742.018	729.098

5.	2016-17 (सितंबर 2016 तक)	4700	239.48	239.48
		4711	986.22	986.22
		2701	11.00	11.00
		2702	7.00	7.00
		2711	3.00	3.00
		8443	324.471	106.421

भाग-2(अ)

प्रस्तर:1 शासन को रू0 77.51 लाख की हानि।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमवाली, 2008 के प्रस्तर 13(1) के अनुसार रू. 25.00 लाख तथा उससे अधिक की अनुबंधित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों मे विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाये, के साथ-साथ प्रस्तर 10(2) मे निहित प्रावधान के अनुसार विशेष परिस्थितियों मे वित्त विभाग की सहमति से विभाग को भारत सरकार के केंद्रीय क्रय संगठन यथा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक (डी. जी. एस. एंड डी.) द्वारा की गयी दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

त्वरित सिंचाई लाभ योजना कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0, टी0एस0पी0) के अन्तर्गत जनपद देहरादून के चकराता विकास खण्ड में दसउ पाईप नहर (12.00 कि0मी0) एवं सिंचाई टैक के निर्माण हेतु रू0 239.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान (नवम्बर 2010) की गयी थी। उक्त कार्य हेतु गठित विस्तृत आगणन पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा रू0 239.62 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (मार्च 2012) की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, कालसी के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा उक्त कार्य हेतु 11250 रनिंग मीटर कुल रू0 188.89 लाख की लागत के एम0 एस0 पाइप 150 एम0एम0 डाया 5.4 एम0एम0 मोटाई के उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित प्रावधानों के विपरीत स्थानीय विक्रेताओं से प्राप्त कोटेशन द्वारा 5 अलग-अलग आपूर्ति आदेशों[1] के माध्यम से रू0 1679 प्रति मीटर की दर से आपूर्ति प्राप्त की गई (वर्ष 2011-12, 2012-13) थी जबकि उक्त अवधि के दौरान डी. जी. एस. एंड डी. की दरें रू0 990 प्रति मीटर थी (विवरण संलग्न है)। इस प्रकार खंड द्वारा उक्त पाइप की अधिप्राप्ति कोटेशन के माध्यम से करने के कारण शासन को रू0 77.51 लाख[2] की हानि हुई।

उपरोक्त के संदर्भ मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे अवगत कराया गया कि नियमानुसार निविदाएँ आमंत्रित कर अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित दर के अंतर्गत ही अनुमोदन पश्चात आपूर्ति आदेश किए गए।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नहीं था क्योंकि खंड द्वारा उक्त आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा इस शर्त के साथ दरें अनुमोदित की गयी थी कि ये दरें अधिकतम हैं। अतः आपूर्ति आदेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि बाजार दरें इससे कम तो नहीं हैं। यदि कम हो तो उसी के अनुसार दरें दी जाएँ। इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का भी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

---

[1]

क्रम संख्या	आपूर्ति आदेश संख्या	मात्रा (मी0 में)	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)	भुगतान किए गए वाऊचर का विवरण
1.	3254/दिनांक 30.09.2011	2250	1679	3777750.00	52/21.10.2011
2.	3301/दिनांक 04.10.2011	2250	1679	3777750.00	02/17.12.2011
3.	3875/दिनांक 30.11.2011	2250	1679	3777750.00	25/27.02.2012
4.	656/दिनांक 03.03.2012	2250	1679	3777750.00	129/27.07.2012
5.	2071/दिनांक 20.07.2012	2250	1679	3777750.00	193/12.11.2012
योग		**11250**		**18888750.00**	

[2] रू0 1679 - रू0 990 = रू0 689 X 11250 मीटर = रू0 7751250.00

अतः उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आपूर्ति प्राप्त न किए जाने के कारण शासन को रू0 77.51 लाख की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

अनुलग्नक

डी. जी. एस. एंड डी. के अनुसार एम0 एस0 पाइप 150 एम0एम0 डाया 5.4 एम0एम0 मोटाई के पाइप का दर विश्लेषण।

Sl. No.	**Item**	**Rate**
1.	Rate as per DGS&D	39000.00 per M.T.
	CST 4 %	1560.00
	Freight charges per M.T.	950.00
	Excise Duty 10.3 %	40179.00
	Total	45527.00
	Rate per metre = 45527/46* * 1 M.T.= 46 metre	Rs. 989.71 Say Rs. 990.00 per metre

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1: कार्य को टुकड़ों मे विभाजित करने के कारण रू0 107.09 लाख की लागत वृद्धि।

जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत ग्राम ब्राह्मणवाला की टौंस एवं यमुना नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु नाबार्ड के अन्तर्गत रू0 812.43 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2015) की गई थी। उपरोक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता गढवाल द्वारा रू0 812.43 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (मार्च 2016) की गई थी।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, कालसी के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्तूबर 2016) में पाया गया कि कार्य का निष्पादन 7 अलग-अलग अनुबंधों के अंतर्गत किया जा रहा था। आगे इन अनुबंधों की जांच मे पाया गया कि कार्य से संबंधित मुख्य मद Construction of toe walls for protection of slopes as per drawing and technical specifications clause 1302.5 (In nominal mix 1:3:6) हेतु प्राप्त न्यूनतम दर रू0 3890.00 (अनुबन्ध **संख्या 15/SE/2015-16 dated 10-03-2016 के अनुसार)** के सापेक्ष अन्य छह अनुबन्धों की दरों में निम्न विवरणानुसार कुल रू0 107.09 लाख की अधिक लागत के अनुबन्ध गठित किए गए थे।

(धनराशि रू0 में)

क्रम संख्या	अनुबन्ध संख्या	मात्रा	अनुबन्धित दर	न्यूनतम अनुबन्धित दर	दर में अन्तर	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 (4-5)	7(3×6)
1	14/SE/2015-16 dated 10-03-2016	3522.00	4900.00	3890.00	1010.00	3557220.00
2	13/SE/2015-16 dated 09-03-2016	3522.00	4860.00	3890.00	970.00	3416340.00
3	01/EE/2016-17 dated 18-04-2016	808.00	4950.00	3890.00	1060.00	856480.00
4	02/EE/2016-17 dated 18-04-2016	866.00	4951.00	3890.00	1061.00	918826.00
5	03/EE/2016-17 dated 18-04-2016	980.00	4952.00	3890.00	1062.00	1040760.00
6	01/SE/2016-17 dated 15-05-2016	866.00	4952.00	3890.00	1062.00	919692.00
					कुल योग	**10709318.00**

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया कि विषयगत कार्य बाढ़ कार्य से संबन्धित होने के कारण समयबद्धता एवं योजना से संपादित लाभ को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार कार्य को जॉब वार निविदा आमंत्रित करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता एवं रोजगार सृजन के दृष्टिगत रखते हुए जॉब वार निष्पादन किया गया।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नहीं था क्योंकि कार्य हेतु गठित अनुबंधों के अनुसार कार्य सितंबर 2016 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था परंतु लेखापरीक्षा तिथि (अक्तूबर 2016) तक 50 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ था।

अतः कार्य को टुकड़ों मे विभाजित करने के कारण रू0 107.09 लाख की लागत वृद्धि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, कालसी** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II